



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार



बिहार सरकार



श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव
माननीय मंत्री
ऊर्जा विभाग, बिहार

“बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना”

निर्देशिका



ऊर्जा विभाग
बिहार सरकार
पटना

“बिहार सौर क्रान्ति सिंचाई योजना की पुस्तिका”

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार में कुल 77.1 लाख हे० कृषि योग्य जमीन में से 44.4 लाख हे० जमीन सिंचित भूमि है। 27 लाख हे० जमीन की सिंचाई डीजल पम्पसेटों से की जाती है। “बिहार सौर क्रान्ति सिंचाई योजना” का उद्देश्य कृषकों को निरन्तर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

राज्य सरकार के कृषि रोड मैप वर्ष 2012-2017 में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा कुल ऊर्जा आवश्यकता का 10% अर्थात् 428 मेगावाट की आवश्यकता की पूर्ति 2 एच०पी० (1.5 किलोवाट) के 285000 सोलर पम्पों को विभिन्न चरणों में स्थापित कर पूरा करने का लक्ष्य है। तत्काल पाँच जिलों में चयनित प्रखण्डों में ही एक Pilot Project के रूप में योजना कार्यान्वित की जायेगी।

प्रस्तावित Pilot योजना का क्रियान्वयन उत्तरी बिहार के सहरसा, अररिया, सुपौल, पूर्णिया एवं किशनगंज जिले में कराया जा रहा है। अररिया जिले के पंलासी एवं जोकीहाट; सुपौल जिले के सुपौल एवं किशनपुर; पूर्णिया जिले के वायसी एवं पूर्णिया पूर्वी; सहरसा में मेंहशी एवं सौरबाजार; किशनगंज जिले के कोचाधामन एवं बहादुरगंज प्रखंडों में भू-गर्भ जल की उपलब्धता 10 फीट से 20 फीट होने के कारण सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु इन पाँच जिलों के 10 प्रखंडों का चयन किया गया है। इन प्रखंडों में कुल 560 सोलर पम्प अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित है।

इस योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प 1800 वाट/2 एच०पी० का प्रस्तावित हैं जिसके अन्तर्गत 2 H.P का D.C Mono block surface Pump 1800 watt Peak/Submersible DC Pump 1800 watt peak के सोलर फोटोभोलटाईक मॉड्युल (पैनल) तथा आन्तरिक कनेक्शन तार द्वारा किया जाना है। सोलर SPV Submersible Pump में 75 वाट के 24 पैनल को series or parallel में जोड़कर 1800 WP के क्षमता का तैयार किया जाता है।

इसके उपयोग के लिए 4" व्यास का बोरिंग एवं Suction and delivery Pipe की आवश्यकता होती है। SVP DC Submersible Pump के अधिष्ठापन होने से ईंधन का खर्च शून्य हो जाता है एवं SVP DC Submersible Pump लम्बी अवधि तक बिना कोई खास रख-रखाव एवं खर्च के चलता रहता है। SVP Pump के उपयोग के लिए ग्रीड की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। इस सोलर पम्प की क्षमता 1 लाख 40 हजार लीटर प्रतिदिन पानी निकालने का है, जो 5-8 एकड़ भूमि पटवन के लिए काफी उपयोगी है। प्रस्तावित 1800 वाट के सोलर पम्प के अनुमानित लागत 315000.00 (तीन लाख पंद्रह हजार) ₹०, है जिसमें से केन्द्रीय अनुदान की राशि 1,26,000 (एक लाख छब्बीस हजार) ₹०, राज्य सरकार की अनुदान की राशि 1,57,500.00 (एक लाख सत्तावन हजार पाँच सौ) ₹० अनुमान के आधार पर प्रस्तावित है।

Pilot योजना का आकार निम्न प्रकार है-

(क) निर्धारित लक्ष्य : 560 सोलर पम्प सेट (2012-13)

(ख) लाभुकों की संख्या : 560 किसान

(ग) कुल योजना राशि : 17.64 करोड़ ₹०

(ङ) राज्य सरकार की कुल सब्सिडी : 8,82,00,000.00 ₹०

(च) केन्द्र सरकार की कुल सब्सिडी : 70560000.00 ₹०

(छ) लाभुको द्वारा भुगतये राशि : 1.76,40,000.00 ₹०

सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु दिशा निर्देश निर्गत है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं लाभार्थी द्वारा किये जाने वाले अनुबंध का प्रपत्र संलग्न है।

सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु किसान एवं आपूर्ति कर्ता के बीच पाँच वर्ष वारन्टी एवं दो वर्ष गारन्टी तक सोलर पम्प के सफल कार्यान्वयन हेतु अनुबंध किया जायेगा।

सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु एजेंसी का चयन MNRE के मापदंडों के आधार पर ब्रेडा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रण द्वारा किया जायेगा एवं तदनुसार इमपेनेल्ड एजेंसियों से पंप अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

राज्य के उक्त पाँच जिलों के 10 प्रखंडों में 560 सोलर पम्प के अधिष्ठापन कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात लगभग 2800-4500 एकड़ भूमि का पटवन हो सकेगा जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। पानी की उपलब्धता के कारण नकदी फसल की खेती में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे किसान समृद्ध होंगे। कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा, जिससे आस-पास के लोग स्वस्थ रहेंगे। डीजल, पेट्रोल आदि के लाने हेतु बाजार जाने-आने की भाग-दौड़ से कृषक बचेंगे।

योजना के कार्यान्वयन का सत्यापन तृतीय पक्ष यथा- राज्य सरकार/ राज्य सरकार की एजेंसी/स्वतंत्र एजेंसी या केन्द्र सरकार की एजेंसी करेगी ताकि लाभ-हानि का मुल्यांकन हो सके एवं राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया जा सके।

यह अपेक्षा की जाती है कि शुरू में सोलर पम्प सेट की संख्या इसके उच्च कीमत की वजह से कम रहेगी, लेकिन बाद में सोलर पम्पों की लागत में कमी होने एवं सरकारी सहायता प्राप्त होने पर इसकी संख्या में समुचित वृद्धि होगी।

आईये! हमलोग मिलकर सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को लागू कर हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हों।

आईये
अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने
का संकल्प लें।

प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग
बिहार सरकार, पटना

सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु दिशा निर्देश:

क. लाभार्थी की चयन प्रक्रिया :-

1. लाभार्थी का चयन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी करेंगे। ऐसे कृषक जिनके पास निजी बोरिंग वाले मौजा में कम से कम एक एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वही लाभार्थी होंगे। लाभार्थी लघु/सीमान्त कृषक श्रेणी के होंगे।
2. जिल के चयनित प्रखंडों में से वैसे ही किसानों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे, जिनके पास अपनी भूमि पर 4 इंच व्यास का निजी बोरिंग होगा तथा जो अपना अंशदान राशि भुगतान करने में सक्षम होंगे।
3. आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायगा।
4. आवेदनकर्ता को आवेदन-पत्र के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र Land Possession Certificate (LPC) संलग्न करना होगा।
5. आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।
6. विहित प्रपत्र में ही आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। प्रपत्र हस्तलिखित या टंकित या कम्प्यूटर टाईप या फोटो कॉपी हो सकता है। (संलग्न)
7. आवेदन पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदक को नोटरी/कार्यपालक दंडाधिकारी से निष्पादित शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।
8. प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित जिला में पदस्थापित ब्रेडा के तकनीशियन द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी तथा गुण-दोष के आधार पर स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अपनी अनुसंशा अंकित कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित की जायेगी।
9. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जाँच किए गए सभी आवेदन पत्रों

के अंतिम स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

10. लाभार्थी अंशदान राशि अनुमानित है जो बढ़-घट सकती है। यदि अनुमानित अंशदान राशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई राशि लाभार्थी को जमा करनी होगी। यदि यह राशि घटती है तो लाभार्थी को अंतर-राशि वापस की जायेगी।
 11. किसी भी तरह का वैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर Arbitration Act के तहत प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना Arbitration Authority होंगे।
 12. प्रशासनिक स्तर पर उत्पन्न विवाद पर प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना का ओदश मान्य होगा।
 13. सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी एवं स्थान चयन का अंतिम अधिकार जिला पदाधिकारी का होगा।
 14. सुयोग्य आवेदनकर्ताओं की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने पर चयन का आधार “प्रथम आओ प्रथम पाओ” होगा।
- “प्रथम आओ” की तिथि की गणना अनुमानित अंशदान राशि के जमा होने की तिथि से की जाएगी।

ख. भुगतान की प्रक्रिया :-

1. सोलर पम्प के लाभार्थी को अंशदान की 10% (दस) राशि संबंधित जिला पदाधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट से, जमा करनी होगी।
2. सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु चयनित एजेंसी को सोलर पम्प अधिष्ठापन के पश्चात् लाभार्थी से प्राप्त अधिष्ठापन प्रमाण पत्र तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी से गुणवत्ता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद राशि का भुगतान 30:40:30 के अनुपात में जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3. जिला पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार सौर क्रान्ति सिंचाई योजना के तहत अलग से एक खाते का संधारण करेंगे एवं इसका लेखा-जोखा रखेंगे, जिसका नियमानुसार अंकक्षण होगा।
4. बिहार सौर क्रान्ति सिंचाई योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध राशि ब्रेडा द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग. योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार : -

1. ब्रेडा मुख्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा ताकि लाभार्थी सोलर पम्प हेतु आवेदन जमा करने के लिए उत्प्रेरित हों।
2. आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार जिला प्रशासन भी अपने स्तर से करायेगा।
3. जिला पदाधिकारी स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में कम से कम तीन दिनों तक किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करावेंगे।
4. जिला पदाधिकारी विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु स्वयं विवेक से अन्य माध्यमों से भी प्रचार प्रसार करावेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

घ. अधिष्ठापित किये जाने वाले सोलर पम्प की मरम्मत एवं व्यवस्था : -

1. सोलर पम्प अधिष्ठापन के पश्चात् सोलर पम्प के सफल कार्यान्वयन हेतु लाभार्थी एवं एजेन्सी के बीच पाँच वर्ष तक वारन्टी एवं दो वर्ष तक की गारन्टी का संलग्न प्रपत्र में अनुबंध किया जायेगा।
2. अधिष्ठापन के पश्चात् कार्य की जाँच एवं मूल्यांकन MNRE के Licensed Channel Partner अक्षय ऊर्जा शॉप/तकनीशियन/ Supervisor जो ब्रेडा द्वारा सम्प्रेषित व पर्यवेक्षित हैं, से ब्रेडा करायेगा

ड. योजना के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी के चयन की प्रक्रिया :-

सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु MNRE द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ब्रेडा द्वारा एजेंसियों का चयन किया जायेगा। चयनित एजेंसियों की सूची संबंधित जिला पदाधिकारी को ब्रेडा प्रेषित करेगी, जिन में से किसी एजेंसी/एजेंसियों को जिला पदाधिकारी कार्यदेश निर्गत करेंगे। चयनित एजेंसी से निविदा आधारित rate contract ब्रेडा द्वारा किया जायेगा। एजेंसी को 10% राशि Performance guarantee के रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ जमा करनी होगी। योजना के कार्यान्वयन का सत्यापन तृतीय पक्ष यथा-राज्य सरकार/राज्य सरकार की एजेन्सी/स्वतंत्र एजेन्सी या केन्द्र सरकार की एजेन्सी द्वारा किया जायेगा ताकि लाभ-हानि का मूल्यांकन हो सके एवं भविष्य में राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु निर्णय लिया जा सके।

एजेन्सी द्वारा आपूरित PV Module Battery एवं अन्य सभी उपकरण MNRE के approved test center SEC, Gurgaon, ERTL, Kolkata, CPRI, Thrivananthapuram एवं ETC Bangalore से approved होगा। आपूर्ति के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा एजेन्सी के devices का inspection भी किया जायेगा।

बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी

तृतीय तल, सोन भवन

वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

सोलर पम्प के लिये आवेदन प्रपत्र

(बिहार सौरक्रान्ति सिंचाई योजना के अन्तर्गत)

लाभार्थी का
अद्यतन पासपोर्ट
साईज का फोटो

“बिहार सौर क्रान्ति सिंचाई योजना के तहत लक्ष्य का आवंटन”

क्रमांक	जिला	प्रखंड	सोलर पम्प का लक्ष्य
1.	सहरसा	1. मेंहशी	56
		2. सौर बाजार	56
2.	सुपौल	1. सुपौल	56
		2. किशनपुर	56
3.	अररिया	1. पलासी	56
		2. जोकीहाट	56
4.	पूर्णियाँ	1. वायसी	56
		2. पूर्णियाँ पूर्वी	56
5.	किशनगंज	1. कोचाधामन	56
		2. बहादुरगंज	56

1. लाभार्थी का नाम:.....
2. पिता/पति का नाम:.....
3. पूरा पता.....ग्राम.....
पंचायत.....पो.
प्रखण्ड.....जिला.....
4. कुल जोत एकड़ में.....
5. सोलर पम्प सिंचाई हेतु कमांड क्षेत्र.....
मौजा.....खाता.....खेसरा.....रकबा (एकड़ में)
6. पानी का श्रोत:.....
(क) कुँआ.....कुँआ का व्यास.....मी०
(ख) बोरिंग.....बोरिंग का व्यास.....मी०
(ग) तालाब/नदी/झरना.....
(घ) जल स्तर: गर्मी में.....मी० वर्षात में.....मी०
7. सिंचाई के अन्य उपलब्ध साधन.....
8. मिट्टी के प्रकार.....
9. सोलर पम्प प्राप्त करने का प्रयोजना.....सिंचाई एवं कृषि कार्य
10. पक्की सड़क मार्ग से साईट की दूरी.....
11. क्या पूर्व में भी सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु
आपके द्वारा आवेदन दिया गया है या
सोलर पम्प प्राप्त किया गया है।

12. क्या आपने सोलर पम्प किसी अन्य स्थान पर कार्यरत देखा है यदि हाँ तो इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया.....
13. क्या ब्रेडा द्वारा निर्धारित लाभार्थी अंशदान वहन करने को तैयार है?

नोट :- अंशदान की राशि घट-बढ़ सकती है।

14. (क) मैं.....सोलर पम्प प्राप्त करने लाभार्थी के रूप में राशि निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा करने को तैयार हूँ अन्यथा आवेदन निरस्त करना मान्य होगा तथा मैं सोलर पम्प के अधिष्ठापन के बाद इसके रख-रखाव, पूर्णतया सुरक्षा, देखभाल की पूरी जिम्मेवारी लूँगा। पाँच वर्ष की वारन्टी अवधि के बाद इसमें उत्पन्न दोष को अपने खर्च पर दूर कर कार्यशील कराने की जवाबदेही पूर्णतया मेरी होगी। इस सोलर पम्प को बिना ब्रेडा की पुर्वानुमति किसी दूसरे लाभार्थी को हस्तान्तरित नहीं करूँगा।
- (ख) मैं इस योजना के अन्तर्गत ब्रेडा/चयनित आपूर्तिकर्ता के साथ पाँच वर्ष का विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षर करने को इच्छुक हूँ।
- (ग) मैं इस सोलर पम्प को कार्यरत रहने के संबंध में समय-समय पर ब्रेडा/जिला प्रशासन को जानकारी देता रहूँगा।
- (घ) सोलर पम्प ब्रेडा के चयनित एजेन्सी द्वारा तकनीकी रूप में चयनित साईट पर ही स्थापित किये जायेंगे। आवेदन मात्र देने से ही सोलर पम्प स्थापित करने का किसी प्रकार का दावा मैं नहीं करूँगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और यह मुझे मान्य होगा।
- (च) प्रस्तावित सोलर पम्प साईट के चारों तरफ कोई पेड़, मकान आदि की छाया का अवरोध नहीं है।
- (छ) आवेदन प्रपत्र में अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं। कोई सूचना गलत पाये जाने पर जिम्मेवारी मेरी होगी।

आवेदक का नाम एवं पूरा हस्ताक्षर

दिनांक
पता

सोलर पम्प साईट निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी/तकनीशियन का जाँच प्रतिवेदन।

स्वीकृत/अस्वीकृत
जिलापदाधिकारी

ब्रेडा के तकनीशियन /प्रखंड कृषि पदा०
का हस्ताक्षर का हस्ताक्षर

शपथ-पत्र का प्रारूप

1. मैं.....पिता.....
ग्राम.....पो०.....प्रखण्ड.....
थाना.....जिला.....का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरे द्वारा अपनी भूमि मौजा.....खाता.....
खेसरा.....रकबा.....पर एक अदद 1800 वाट, 2
एच०पी० क्षमता का सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु आवेदन देना है, जिसके लिए
इस शपथ-पत्र की आवश्यकता है।
3. यदि मेरा आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं अपने अंशदान की राशि जिलाधिकारी
द्वारा निर्धारित तिथि तक विनिर्दिष्ट कार्यालय में जमा करूँगा।
4. मैं अपने भू-खण्ड पर अधिष्ठापित सोलर पम्प को किसी दूसरे व्यक्ति को
स्थानान्तरित/बिक्री नहीं करूँगा।
5. सोलर पम्प अधिष्ठापित करने वाली एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष के वार्षिक
रख-रखाव के उपरान्त मेरे द्वारा अपने व्यय पर इसका रख-रखाव किया
जायेगा।
6. अधिष्ठापित सोलर पम्प की देखभाल एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।
7. अधिष्ठापित सोलर पम्प का उपयोग कृषि कार्य एवं सिंचाई के लिए किया
जायेगा।
8. अधिष्ठापित सोलर पम्प का सम्पूर्ण स्वामित्व पाँच वर्ष के उपरान्त ही मेरा
होगा।
9. उपरोक्त किसी भी विन्दु पर दोषी पाये जाने पर हमारे विरुद्ध नियमानुसार
कार्रवाई की जा सकती है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

अनुबंध

(100/-रू. स्टाम्प पेपर)

1. मैं.....पिता.....ग्राम.....
पो०.....प्रखण्ड.....थाना.....
जिला..... का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरे मौजा.....खाता.....खेसरा.....रकबा.....
पर मे०.....द्वारा एक अदद 1800 वाट, 2 एच०पी०
क्षमता का सोलर पम्प अधिष्ठापित दिनांक.....किया गया है।
3. मेरे भू-खण्ड पर अधिष्ठापित सोलर पम्प की कुल लागत रू.....
.....है, जिसमे रू.....नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत
सरकार, नई दिल्ली रू.....राज्य योजना के माध्यम से ब्रेडा द्वारा एवं मेरा
अंशदान इतना रू.....है। जिसे मेरे द्वारा चेक/ड्राफ्ट/संख्या.....
दिनांक.....बैंक का नाम.....द्वारा जिलाधिकारी.....
.....के यहाँ जमा कर दिया गया है।
4. मैं अपने भू-खण्ड पर अधिष्ठापित सोलर पम्प को स्थानान्तरित नहीं करूँगा। साथ ही
किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरण/बिक्री नहीं करूँगा।
5. सोलर पम्प अधिष्ठापित करने वाली एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष के वार्षिक रख-रखाव के
उपरान्त मेरे द्वारा अपने व्यय पर इसका रख-रखाव किया जायेगा।
6. अधिष्ठापित सोलर पम्प की देखभाल एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।
7. अधिष्ठापित सोलर पम्प का उपयोग कृषि कार्य एवं सिंचाई के लिए किया जायेगा।
8. अधिष्ठापित सोलर पम्प का सम्पूर्ण स्वामित्व पाँच वर्ष के उपरान्त ही मेरा होगा।
9. उपरोक्त किसी भी बिन्दु पर दोषी पाये जाने पर हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की
जा सकती है।

प्रथम पक्ष लाभार्थी का
हस्ताक्षर पता के साथ

द्वितीय पक्ष एजेन्सी का
हस्ताक्षर एवं पूर्ण विवरण के साथ

.....
.....
.....

.....
.....
.....

दो गवाह (पूर्ण पता के साथ)

1.....

2.....